रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 632] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 17, 2017/आषाढ़ 26, 1939
No. 632] NEW DELHI, MONDAY, JULY 17, 2017/ASADHA 26, 1939

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 जुलाई, 2017

सा.का.नि. 884(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड (अध्यक्ष और सदस्य) भर्ती नियम, 2006 को अधिक्रांत करते हुए, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग में, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्: —

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** : — (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड (अध्यक्ष और सदस्य) भर्ती नियम, 2017 है।

   (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर :** — पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि .**– भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त/पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता .**— वह व्यक्ति —

   (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या

   (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति.** — जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति.**— इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(1) अध्यक्ष	01 (2017)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक 2,25,000 रू. में स्तर – 17	चयन	लागू नहीं होता।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता ।
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रतिनियुक्ति/आमेलन

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।
(11)
प्रतिनियुक्ति/आमेलन: केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड के सदस्यों की निम्नलिखित अर्हताएं है, अर्थात:- (i) केन्द्रीय सरकार में अप्रत्यक्ष कर प्रशासन चलाने का बीस वर्ष का अनुभव और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड की संरचनाओं के क्षेत्र में दस वर्ष का अनुभव; (ii) उच्च वृत्तिक गुणवत्ता और उत्कर्ष; और (iii) सत्यनिष्ठा की अखंडनीय प्रतिष्ठा। **टिप्पण 1 :-** आवेदन की अंतिम तारीख को 56 वर्ष की अधिकतम आयु की सामान्य पात्रता की शर्तें आमेलन के मामलों में लागू नहीं होंगी। **टिप्पण 2 :-** कोई ऐसा व्यक्ति जिसके रिक्ति होने की तारीख को, जिसके लिये चयन किया जा रहा है, छः माह से कम अवशिष्ट सेवा है, विचार किए जाने हेतु पात्र नहीं होगा। परंतु, परिणामिक रूप से, रिक्ति होने की तारीख को यदि कोई ऐसा सदस्य नहीं है जिसकी छः माह या अधिक की अवशिष्ट सेवा न;

हो, तो सरकार, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष के पद के लिए अवशिष्ट सेवा की शर्त को शिथिल कर सकेगी। परंतु यह और कि टिप्पण (2) के प्रावधान केवल ऐसे सदस्यों पर लागू होगा, जिन्होंने 1.04.2017 के बाद केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड में पद ग्रहण किया है।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना ।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	**(13)**
लागू नहीं होता। तथापि, निम्नलिखित संरचना वाली चयन समिति केन्द्रीय सरकार द्वारा इस पद पर नियुक्त किए जाने वाले पात्र अधिकारियों का चयन करेगी: (i) मंत्रिमंडल सचिव —अध्यक्ष; (ii) प्रधानमंत्री का प्रधान सचिव/अतिरिक्त प्रधान सचिव —सदस्य; (iii) गृह सचिव —सदस्य; (iv) सचिव (कार्मिक), कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग —सदस्य; (v) सचिव, राजस्व विभाग —सदस्य। **टिप्पण :-** चयन समिति अभ्यर्थियों का निर्धारण करने का उपाय तय कर सकेगी |	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(2) सदस्य	06 (2017)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक 2,25,000/- रु. में स्तर-17	चयन	लागू नहीं होता।

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रतिनियुक्ति/आमेलन

(11)
प्रतिनियुक्ति/आमेलन: केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स 1,82,200.- 2,24,400 रु. के स्तर 15 में एक वर्ष नियमित सेवा की है और जिसके पास निम्नलिखित आवश्यक अर्हताएं हैं, अर्थात् : — (i) केन्द्रीय सरकार में अप्रत्यक्ष कर प्रशासन चलाने का पंद्रह वर्ष का अनुभव और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड की संरचनाओं के क्षेत्र में दस वर्ष का अनुभव; (ii) उच्च वृत्तिक गुणवत्ता और उत्कर्ष; और (iii) सत्यनिष्ठा की अखंडनीय प्रतिष्ठा। **टिप्पण 1 :** आवेदन की अंतिम तारीख को 56 वर्ष की अधिकतम आयु की सामान्य पात्रता की शर्तें आमेलन के मामलों में लागू नहीं होंगी। **टिप्पण 2 :** कोई ऐसा व्यक्ति, जिसकी रिक्ति होने की तारीख को एक वर्ष से कम की अवशिष्ट सेवा है, रिक्ति के संबंध में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

(12)	(13)

लागू नहीं होता। तथापि, निम्नलिखित संरचना वाली चयन समिति केन्द्रीय सरकार द्वारा इस पद पर नियुक्त किए जाने वाले पात्र अधिकारियों का चयन करेगी:— (i) मंत्रिमंडल सचिव —अध्यक्ष; (ii) प्रधानमंत्री का प्रधान सचिव/अतिरिक्त प्रधान सचिव —सदस्य; (iii) गृह सचिव —सदस्य; (iv) सचिव (कार्मिक), कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग —सदस्य; (v) सचिव, राजस्व विभाग —सदस्य । **टिप्पण 1:** मंत्रिमंडल सचिव, चयन समिति की बैठकों के लिए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष को सहयोजित हो सकेगा। **टिप्पण 2:** चयन समिति अभ्यर्थियों का निर्धारण करने का उपाय तय कर सकेगी।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है ।

[फा. सं. ए-50050/21/2016-प्रशा.I]

राजेन्द्र कुमार, अवर सचिव,(प्रशा-I)

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th July, 2017

G.S.R. 884(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Central Board of Excise and Customs (Chairman and Members) Recruitment Rules, 2006 the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Chairman and Members of the Central Board of Excise and Customs in the Department of Revenue, Ministry of Finance, namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Central Board of Excise and Customs (Chairman and Members) Recruitment Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and level in the pay matrix.**—The number of posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.**—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. **Disqualification.**—No person, —

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that if the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Schedules Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	**Number of posts**	**Classification**	**Level in the pay matrix**	**Whether selection post or non-selection post**	**Age limit for direct recruits**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(1) Chairman	01(2017)	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial.	Level 17 in the pay matrix ₹ 2,25,000/-	Selection	Not applicable

Educational and other qualification for direct recruits	**Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees**	**Period of probation, if any**	**Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of posts to be filled in by various methods**
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Deputation/absorption.

In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made	**If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition**	**Circumstances in which the Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment**
(11)	(12)	(13)
Deputation/absorption: Members of the Central Board of Excise and Customs, possessing the following qualifications, namely:— (i) having twenty years of experience in administering and running the indirect tax administration in the Central Government with ten years of experience in the field formations of Central Board of Excise and Customs; (ii) having high professional merit and excellence; and (iii) having impeccable reputation of integrity. **Note1 :** The normal eligibility conditions of maximum age of 56 years on the date of closing of applications shall not be applicable in cases of absorption. **Note 2:** No person with less than Six	Not applicable However, a Selection Committee with the following composition shall recommend selection of eligible officers to be appointed to this post by the Central Government:— (i) Cabinet Secretary —Chairman; (ii) Principal Secretary/ Additional Principal Secretary to Prime Minister —Member; (iii) Home Secretary —Member; (iv) Secretary (Personnel) Department of Personnel and Training —Member; (v) Secretary, Department of Revenue —Member; **Note:** The Selection Committee may devise ways to assess candidates	Consultation with the Union Public Service Commission not necessary.

Months residual service on the date of occurrence of vacancy for which selection is being made shall be eligible for consideration. Provided that in the eventuality of no Member having a residual service of six months or more on the date of occurrence of vacancy in the post of Chairman, Central Board of Excise and Customs, Government may relax the condition of residual service. Provided further that provisions of this Note (2) shall only be applicable to Members who join Central Board of Excise and Customs after 01.04.2017.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(2) Member	06 (2017)	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial.	Level 17 in the pay matrix ₹ 2,25,000/-	Selection	Not applicable

(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Deputation/Absorption

(11)	(12)	(13)
Deputation/Absorption Officers of the Central Government having one year regular service in level 15 in the pay matrix ₹ 1,82,200-₹ 2,24,400/-. and possessing the following essential qualifications, namely:- (i) having fifteen years of experience in administering and running the indirect tax administration in the Central Government with ten years of experience in the field formations of Central Board of Excise and Customs; (ii) having high professional merit and excellence; and (iii) having impeccable reputation of integrity. **Note1:** The normal eligibility conditions of maximum age of 56 years on the date of closing of applications shall not be applicable in cases of absorption.	Not applicable; However, a Selection Committee with the following composition shall make selection of eligible officers to be appointed to this post by the Central Government. (i) Cabinet Secretary —Chairman; (ii) Principal Secretary/ Additional Principal Secretary to Prime Minister —Member; (iii) Home Secretary —Member; (iv) Secretary (Personnel) Department of Personnel and Training —Member; (v) Secretary, Department of Revenue —Member. **Note 1**: The Cabinet Secretary may co-opt Chairman, Central Board of Excise and Customs for Selection Committee meetings. **Note 2:** The Selection Committee may devise ways to assess candidates.	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

Note 2: No person with less than one year residual service on the date of occurrence of vacancy shall be eligible for appointment against the vacancy.		

[F. No. A.-50050/21/2016-Ad. I]

RAJINDER KUMAR, Under Secy. (Ad.I)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 जुलाई, 2017

सा.का.नि. 885(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (अध्यक्ष और सदस्य) भर्ती नियम, 2006 को अधिक्रांत करते हुए, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग में, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (अध्यक्ष और सदस्य) भर्ती नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—**पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि.—**भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो **उक्त/ पूर्वोक्त** अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता.—**वह व्यक्ति —

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, ; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति .—** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति.—**इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्यिों के लिए

					आयु-सीमा	अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(1) अध्यक्ष	01 (2017)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अनअनुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स 2,25,000/- रू. में स्तर–17	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता |	प्रतिनियुक्ति/आमेलन

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जाएगा
(11)
प्रतिनियुक्ति/आमेलन: केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के सदस्यों की निम्नलिखित अर्हताएं हैं, अर्थात:- (i) केन्द्रीय सरकार में प्रत्यक्ष कर प्रशासन चलाने का बीस वर्ष का अनुभव और केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की संरचनाओं के क्षेत्र में दस वर्ष का अनुभव; (ii) उच्च वृत्तिक गुणवत्ता और उत्कर्ष; और (iii) सत्यनिष्ठा की अखंडनीय प्रतिष्ठा । **टिप्पण 1-** आवेदन की अंतिम तारीख को 56 वर्ष की अधिकतम आयु की सामान्य पात्रता की शर्तें आमेलन के मामले में लागू नहीं होंगी। **टिप्पण 2-** कोई ऐसा व्यक्ति जिसके रिक्ति होने की तारीख को, जिसके लिए चयन किया जा रहा है, छ: माह से कम अवशिष्ट सेवा है, विचार किए जाने हेतु पात्र नहीं होगा। परंतु, परिणामिक रूप से, रिक्ति होने की तारीख को यदि कोई ऐसा सदस्य नहीं है जिसकी छ: माह या अधिक की अवशिष्ट सेवा न हो, तो सरकार, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष के पद के लिए अवशिष्ट सेवा की शर्त को शिथिल कर सकेगी। परंतु यह और कि टिप्पण (2) के प्रावधान केवल ऐसे सदस्यों पर लागू होगा, जिन्होंने 1.04.2017 के बाद केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड में पद ग्रहण किया है।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
लागू नहीं होता तथापि, निम्नलिखित संरचना वाली चयन समिति केंद्र सरकार द्वारा इस पद पर नियुक्त किए जाने वाले पात्र अधिकारियों का चयन करेगी:— 1. मंत्रिमंडल सचिव, —अध्यक्ष; 2. प्रधानमंत्री का प्रधान सचिव/अतिरिक्त प्रधान सचिव —सदस्य; 3. गृह सचिव —सदस्य; 4. सचिव (कार्मिक), कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग —सदस्य; 5. सचिव, राजस्व विभाग —सदस्य । **टिप्पण:** चयन समिति अभ्यर्थियों का निर्धारण करने का उपाय तय कर सकेगी।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(1) सदस्य	06 (2017)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स 2,25,000/- रू. में स्तर – 17	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति/आमेलन

प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(11)
प्रतिनियुक्ति/आमेलन: केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी, जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स 1,82,200 रु.- 2,24,400 रु. के स्तर 15 में एक वर्ष की नियमित सेवा की है और जिनके पास निम्नलिखित आवश्यक अर्हताएं हैं, अर्थात:- (i) केन्द्रीय सरकार में प्रत्यक्ष कर प्रशासन चलाने का पंद्रह वर्ष का अनुभव और केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की संरचनाओं के क्षेत्र में दस वर्ष का अनुभव; (ii) उच्च वृत्तिक गुणवत्ता और उत्कर्ष; और (iii) सत्यनिष्ठा की अखंडनीय प्रतिष्ठा । **टिप्पण 1 :** आवेदन की अंतिम तारीख को 56 वर्ष की अधिकतम आयु की सामान्य पात्रता की शर्तें आमेलन के मामले में लागू नहीं होंगी। **टिप्पण 2 :** कोई ऐसा व्यक्ति, जिसकी रिक्ति होने की तारीख को एक वर्ष से कम की अवशिष्ट सेवा है, रिक्ति के संबंध में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
लागू नहीं होता। तथापि, निम्नलिखित संरचना वाली चयन समिति केंद्र सरकार द्वारा इस पद पर नियुक्त किए जाने वाले पात्र अधिकारियों का चयन करेगी:- 1. मंत्रिमंडल सचिव, - अध्यक्ष; 2. प्रधानमंत्री का प्रधान सचिव/अतिरिक्त प्रधान सचिव - सदस्य; 3. गृह सचिव - सदस्य; 4. सचिव (कार्मिक), कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग - सदस्य;	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

5. सचिव, राजस्व विभाग - सदस्य । **टिप्पण 1:** मंत्रिमंडल सचिव, चयन समिति की बैठकों के लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का अध्यक्ष सहयोजित हो सकेगा। **टिप्पण 2:** चयन समिति अभ्यर्थियों का निर्धारण करने का उपाय तय कर सकेगी।	

[फा. सं. ए.-50050/21/2016-प्रशा.1]

राजेन्द्र कुमार, अवर सचिव (प्रशा.1)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th July, 2017

G.S.R. 885(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Central Board of Direct Tax (Chairman and Members) Recruitment Rules 2006, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Chairman and Members of the Central Board of Direct Taxes in the Department of Revenue, Ministry of Finance, namely :—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Central Board of Direct Taxes (Chairman and Members) Recruitment Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2.**Number of posts, classification and level in the pay matrix**.—The number of the posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.**—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. **Disqualification.**—No person, –

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that if the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Schedules Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post.	Number of posts.	Classification.	level in the pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Age limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(1) . Chairman.	01(2017).	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial.	Level 17 in the pay matrix ₹ 2,25,000/-.	Selection.	Not applicable.

Educational and other qualification for direct recruits.	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of posts to be filled in by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Deputation/absorption.

In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which the Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Deputation/absorption: Members of the Central Board of Direct Taxes, possessing the following qualifications, namely:- (i) having twenty years of experience in administering and running the direct tax administration in the Central Government with ten years' of experience in the field formations of Central Board of Direct Taxes; (ii) having high professional merit and excellence; and (iii) having impeccable reputation of integrity. **Note 1:** The normal eligibility conditions of maximum age of 56 years on the date of closing of applications shall not be applicable in cases of absorption. **Note 2:** No person with less than Six Months residual service on the date of occurrence of vacancy for which selection is	Not applicable. However, a Selection Committee with the following composition shall recommend selection of eligible officers to be appointed to this post by the Central Government: (i) Cabinet Secretary - Chairman; (ii) Principal Secretary/ Additional Principal Secretary to Prime Minister - Member; (iii) Home Secretary - Member; (iv) Secretary (Personnel) Department of Personnel and Training - Member; (v) Secretary, Department of Revenue - Member; **Note:** The Selection Committee may devise ways to assess candidates	Consultation with the Union Public Service Commission not necessary.

being made shall be eligible for consideration. Provided that in the eventuality of no Member having a residual service of six months or more on the date of occurrence of vacancy in the post of Chairman, Central Board of Direct Taxes, Government may relax the condition of residual service. Provided further that provisions of this Note (2) shall only be applicable to Members who join Central Board of Direct Taxes after 01.04.2017.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(2). Member	06 (2017)	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial.	Level 17 in the pay matrix ₹ 2,25,000/-	Selection	Not applicable

(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Deputation/Absorption.

(11)	(12)	(13)
Deputation/Absorption Officers of the Central Government having one year regular service in level 15 in the pay matrix ₹1,82,200-₹ 2,24,400/-. and possessing the following essential qualifications, namely:- (i) having fifteen years' of experience in administering and running the direct tax administration in the Central Government with ten years of experience in the field formations of Central Board of Direct Taxes; (ii) having high professional merit and excellence; and (iii) having impeccable reputation of integrity. **Note1:**The normal eligibility conditions of maximum age of 56 years on the date of closing of applications shall not be applicable in cases of absorption. **Note 2 :** No person with less than one year residual service on the date of occurrence of vacancy shall be eligible for appointment against the vacancy.	Not applicable However, a Selection Committee with the following composition shall make selection of eligible officers to be appointed to this post by the Central Government. (i) Cabinet Secretary -Chairman; (ii) Principal Secretary/ Additional Principal Secretary to Prime Minister -Member; (iii) Home Secretary -Member; (iv) Secretary (Personnel) Department of Personnel and Training -Member; (v) Secretary, Department of Revenue -Member. **Note 1 :** The Cabinet Secretary may co-opt Chairman, Central Board of Direct Taxes for Selection Committee meetings. **Note 2 :** The Selection Committee may devise ways to assess candidates.	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

[F. No. A.50050/21/2016-Ad.I]

RAJINDER KUMAR, Under Secy. (Ad.I)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

RAKESH SUKUL Digitally signed by RAKESH SUKUL
Date: 2017.07.19 22:53:16 +05'30'